

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, (ले. एवं ह.), बिहार  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

/पटना, दिनांक

विषय:- विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के परिसर में स्थित प्रोफेसर आवास की मरम्मत कार्य हेतु कुल रू. 3,59,000=00 (तीन लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के पत्रांक-572, दिनांक 28.08.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी के पत्रांक-727, दिनांक 27.08.2019 द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर संस्थान के परिसर में स्थित प्रोफेसर आवास की मरम्मत कार्य हेतु कुल रू. 3,59,000=00 (तीन लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 112-इंजीनियरी / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0101- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 27 01 लघु कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001120101 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि का आवंटन, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, मोतिहारी को प्रदान किया जायेगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी होंगे।

5. इस राशि की निकासी कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका पृ. 7/प. पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- वि0प्रा0 (II) य<sup>1</sup> -38/2007-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup> -38/2007- /पटना, दिनांक  
 प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 ह./ -  
 सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup> -38/2007- /पटना, दिनांक  
 प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 ह./ -  
 सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup> -38/2007- /पटना, दिनांक  
 प्रतिलिपि :- प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी को उनके कार्यालय पत्रांक-572, दिनांक  
 28.08.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 ह./ -  
 सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा० (II) य<sup>1</sup> -38/2007- 3509 /पटना, दिनांक 15/10/19  
 प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक  
 (यो.) / बजट सहायक / आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं  
 प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव